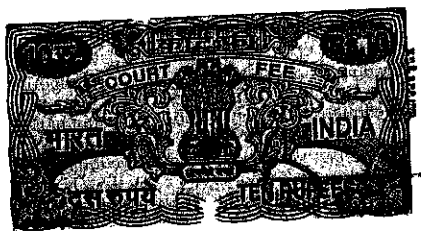

(199)

नि/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/1736

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी -एक/निग0/टीकमगढ/भू-रा/2017/

किशोरी गड़रिया तनय घनश्याम गड़रिया
निवासी- ग्राम हीरापुर,नजदीक सरकनपुर
तहसील बल्देवगढ़,जिला टीकमगढ़,म0प्र0
---- आवेदक

श्री मती रजनी वरिष्ठ अभिभाषक द्वारा आज दि. 12/6/17 को प्रस्तुत
क्लार्क ऑफ कोर्ट 12.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

12/6/2017

विरूद्ध

1- बाबूलाल तनय घनश्याम गड़रिया
2- श्रीमती मीरा पत्नी गौरीशंकर नाई
निवासी-ग्राम हीरापुर,नजदीक सरकनपुर, तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़, म0प्र0
---- अनावेदकगंण

<u>यह निगरानी आवेदन म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 32/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 03.06.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।</u>

महोदय,

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> :-

1- यह कि, अनावेदकगंण द्वारा ग्राम हीरापुर तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 825, 827, 829, 830, 831, 831/अ, 832, 833, 866, 868, 870 कुल किता 11 कुल रकवा 4.220 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू–रा./2017/1736

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर राजस्व निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 32/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 03.06.17 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–1 बाबूलाल पिता घनश्याम गड़रिया निवासी हीरापुर नजदीक सरकनपुर द्वारा दिनांक 13.5.17 को आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम हीरापुर नजदीक सरकनपुर स्थित भूमि सर्वे न0 825, 827, 829, 830, 831, 871/अ, 832, 833, 866, 868, 870 कुल किता 11 कुल रकवा 4.220 है0 का सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर मांग की। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.5.17 को सीमांकन करने हेतु दिनांक 14.5.17 को सूचना पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 15.5.17 को सीमांकन किया गया। आवेदक द्वारा आपत्ति की गई और दिनांक 3.6.15 को आपत्ति निरस्त की गई इसी से परिवेदित	

होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3–आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 13.05.17 को आवेदन दिया गया और 14.05.17 को सूचना पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 15.5.17 को सीमांकन किया गया यह प्रकिया इतनी जल्दवाजी में की गई है कि मेढ़िया कृषकों को सूचना ही नहीं हुई, बिना सूचना के सीमांकन किया गया है जो निरस्त करने की मांग की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक की आपत्ति निरस्त कर दी गई है जबकि आवेदक का भूमि खसरा नम्बर 824 रकवा 0.858 है0 को नाप कर अनावेदकगण की भूमि में शामिल किया गया है जो सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा तर्क किया गया है कि स्थल पंचनामा एवं सूचना पत्र पर किशोरी के हस्ताक्षर/अगुष्ठ के निशान नहीं है। अतः उनके द्वारा सीमांकन निरस्त कर पुनः सीमांकन मेढिया कास्तकारों की उपस्थित में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4–मेरे द्वारा अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा यह प्रकिया जल्दवाजी में की गई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.5.17 को सीमांकन

करने हेतु दिनांक 14.5.17 को सूचना पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 15.5.17 को सीमांकन किया गया। प्रकरण में सलग्न पंचनामा पर किशोरी के हस्ताक्षर नहीं है और न ही सूचना पत्र पर किशोरी के हस्ताक्षर/अगुंष्ठ के निशान है। अतएव राजस्व निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 32/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 03.06.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि समस्त मेढ़िया कृषकों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें। उभयपक्ष सूचित हों। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सदस्य